समाज कल्याण विभाग ने बढ़ाई जनभागीदारी

# अब जनता चलाएगी आंगनबाड़ी केन्द्र

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

समाज कल्याण विभाग ने आंगनबाड़ी केन्द्रों के अधिकारों का विकेन्द्रीकरण करते हुए इसमें जनता की सहभागिता बढ़ा दी है। समाज कल्याण विभाग ने सामाजिक अंकेक्षण से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। समाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) के जरिए जनता को केन्द्रों के संचालन के अलावा तमाम हिसाब-किताब जानने का अधिकार मिल गया है। हर महीने की 15 तारीख के दिन आयोजित एक आमसभा में यह सोशल ऑडिट कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें जनता संचालन से जुड़े तमाम समस्याओं को उठा सकती है। इन्हें सुधारने के तमाम उपाए भी सुझा सकती है। किसी भी सरकारी कार्यक्रम में जनता की इस तरह की सहभागिता का यह पहला उदाहरण है। लाभुक सभा में जनता अपने बीच से सर्वसम्मति से अध्यक्ष समेत पांच सदस्य को चुनकर निगरानी समिति बनाएगी।

## जनता को मिले ये अधिकार

- 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी वर्ग के पुरुष और महिला इसमें शामिल हो सकती हैं
- अंकेक्षण के दौरान केन्द्र की सभी कार्य, सेविका-सहायिका की कार्यशैली, स्कूल खुलने और करने का समय, केन्द्र में पर्याप्त स्थान, साफ-सफाई, प्रतिदिन मिलने वाले पोषाहार की मात्रा, टीएचआर का वितरण पर विस्तार से चर्चा होगी।
- लाभुक सूचियों की जांच तथा केन्द्र के सभी खर्चों के ब्योरे लिए जा सकते हैं। सेविका संबंधित तमाम दस्तावेज तथा अंकेक्षण नियामावली लाभुक सभा के हवाले करेंगी।
- अगर सेविका-सहायिका अपने कार्य में ढिलाई बरतती हैं, तो सभा उन्हें पहली बार चेतावनी देगी। इसके बाद भी स्थिति नहीं सुधरने पर सीडीपीओ के पास कार्रवाई के लिए अनुशंसा करेगी।
- इस तरह की शिकायत आने पर सीडीपीओ को जांचकर कार्रवाई करना अनिवार्य होगा।
- अगर सेविका सभा नहीं बुलाती है, तो लाभुक सभा के सदस्य समाजिक अंकेक्षण की नियमावली के अनुसार स्वयं सभा बुलाऐंगे व सेविका को इसमें केन्द्र के दस्तावेजों के साथ सम्मन कर सकेंगे।
- सभा की सारी कार्रवाई अंत में पूरी तरह पढ़ी जाएगी।
- सभा की कार्यवाही लिखने के लिए कोई एक व्यक्ति या पास के स्कूल के शिक्षक या प्रधानाचार्य को चुना जा सकता है।
- कोई भी कार्रवाई पास करने के लिए सभी लोगों से हाथ उठाकर सहमति ली जाएगी।